अनुसूची १७, परि० सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0..........से..........तक

जिला.........., सं0.........., सन् १९..........

केस का प्रकार..........

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-79/2011

खोखा साह एवं अन्य .... अपीलार्थीगण

बनाम

अनिल राम एवं अन्य ....विपक्षीगण

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी ने निम्न न्यायालय में विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल भूमि विवाद वाद संख्या-05/10 में पारित आदेश दिनांक-01.08.2011 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स के दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि वाद पत्र में विपक्षी प्रथम पक्ष अनिल राम के द्वारा दाखिल वाद में अपीलार्थी द्वितीय पक्ष एवं रेस्पोंडेंट तृतीय पक्ष के विरूद्ध जमाबंदी सुधार एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष को विपक्षी प्रथम पक्ष को बेदखल करने से रोकने के लिए वाद संख्या-05/10 निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया था।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिल वाद में काली चमार के तीन भाई कैलु चमार, मुसहरू चमार भी नावल्द मर गए एवं काली चमार को एक लड़का गुली चमार थे एवं गुली चमार अपने पीछे मात्र एक लड़की बासो देवी को छोड़ कर मर गए तथा बासो देवी को एक लड़का बालेश्वर मोची एवं बालेश्वर मोची को एक लड़का अनिल राम है तथा बौकू चमार एवं मुसहरू चमार की संपूर्ण संपत्ति पर अनिल राम जो काली चमार के वारिसान से आते हैं का दखल कब्जा हुआ।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि मौजा-नरियार तौजी नं0 3763 खाता नं0 94, 111 एवं 112 की भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा था जबकि नाजायज जमाबंदी खाता पुरानाः 94, खेसरा पुरानाः 5042 जिससे नया खेसरा 7381 एवं 7382 बना है का गलत जमाबंदी अपीलार्थी के नाम होने का कथन किया। इस संदर्भ में अपीलार्थी का कहना है कि जमाबन्दी सृजन करने और जमीनदारी उन्मुलन के उपरान्त राज्य सरकार में निहित होने के समय चल रही जमाबन्दी को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को

नहीं है। इस संदर्भ में अपीलार्थी का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना के निर्णय जो CWJC- 3841/2012 दिनांक 21.03.2013 में वर्णित है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो जमाबन्दी के समय से चल रही है, उसे तोड़ने का अधिकार नहीं है तथा नई जमाबन्दी कायम करने का अधिकार नहीं है, जो अधिकार बिहार भूमि नामान्तर अधिनियम में अपर समाहर्त्ता को दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब दाखिल किए तथा खतियान रैयत निःसंतान मर गए जिसका संपूर्ण जमाबंदी कि जमा जमींदार में समाहित हो गया एवं पूर्व खतियानी रैयत गुली, बौकू एवं मुसहरू का उक्त जाम की भूमि पर हक एवं दखल बी0टी0 एक्ट की धारा 87 के आलोक में भूतपूर्व जमींदार के बीच हुआ एवं तिलकधारी सिंह के द्वारा दो बीघा 13 कट्ठा 18 धूर भूमि दुःखा साह अपीलार्थी के पूर्वज को निबंधित पट्टा वर्ष 1919 में खाताः 91, 85, 117, 94, 5042 रकवाः 05 कट्ठा 15 धूर साथ अन्य खेसरा बंदोबस्त कर दिया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते है कि दुःखा साह बंदोबस्त 1919 के बाद दखलकार हुए एवं जमीन्दारी में जमीन्दार रसीद प्राप्त किए एवं दुःखा साह के मरने के पश्चात जमाबंदी दुःखा साह के भतीजा फूदन साह कर्त्ता एवं प्रबंधक के नाते भूतपूर्व जमीन्दार के द्वारा शेष भेल्युएशन रिटर्न वर्ष 1941-42 फूदन साह पिता-अयोध्या साह के नाम दाखिल की गई जबकि भेस्टिंग रिटर्न वर्ष 1955 ई0 में फूदन साह एवं दौरिक साह के नाम से पंजी वो सरकारी सिरिस्ता में फूदन साह के परिवार के नाम होना बतलाते हैं, जो दुःखा साह उपभोग करते आए हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा सुकल साह का वंशवृक्ष अपील वाद में दाखिल किया गया है। जिसमें मक्खन साह के लड़के के नाम जमाबंदी संयुक्त परिवार में हासिल होना बतलाते हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि खाता पुरानाः 94 खेसरा पुरानाः 5042 रकवाः 05 कट्ठा 15 धूर भूमि पर 1919 ई0 से अपीलार्थी के परिवार बंदोबस्ती के समय से ही दखलकार चले आ रहे हैं तथा मालगुजारी रसीद भी प्राप्त करते चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि रिभिजनल सर्वे के दौरान भी खाता अपीलर्थी के नाम खुला तथा अपीलार्थी के परिवार ने 01 कट्ठा 06 धूर भूमि बिक्री किए जिसपर खरीदार घर बनाकर रहते आ रहे हैं। अपीलार्थी ने कथन किया है कि निम्न न्यायालय ने शेष भूमि के विरुद्ध गलत आदेश दिनांक 01.08.2011 को पारित किया है। अपीलार्थी ने दाखिल अपील वाद के अभिप्राय में निम्न न्यायालय ने शेष भूमि के विरुद्ध गलत बताते हुए विवादी भूमि पर अपीलार्थी का रैयती अधिकार होने का कथन किया है तथा 1919 ई0 के बंदोबस्ती पट्टा को नजरअंदाज करते हुए गलत आदेश पारित किया है। जबकि विपक्षी प्रथम पक्ष मरोसी रैयती के आधार पर दावा लाए हैं।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि अपीलार्थी ने अभिप्राय में काली वो मुसहरू को भिन्न-भिन्न परिवार का सदस्य बतलाते हुए विपक्षी प्रथम पक्ष काली चमार का जाल कागजी प्रमाण दाखिल किया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते है कि अपीलार्थी ने 1919 से परिवार के साथ विवादी भूमि पर दखलकार हुए एवं बी0टी0 एक्ट के अन्तर्गत के आधार पर खाता खोलने को नजरअंदाज करते हुए निम्न न्यायालय ने आदेश पारित किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि विपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित बहस दाखित किया गया है जिसमें निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सहरसा के द्वारा भूमि विवाद वाद संख्याः05/2010 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2011 सर्वथा न्यायिक आदेश होना बतलाया है। विपक्षी द्वितीय पक्ष ने खतियानी रैयत गुली, बौकु एवं मुसहरू को होना बतलाए हैं जिसमें बौकु एवं मुसहरू नावल्द मर गए।

विपक्षी ने अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील में बी0टी0 एक्ट की धारा 87 के अंतर्गत विवादी जमीन जमीन्दारी में भेस्ट होने के कथन का भी विरोध किया है तथा निम्न न्यायालय द्वारा स्थलीय जाँच के दौरान विवादी भूमि पर विपक्षी प्रथम पक्ष का दखल कब्जा एवं घर, मकान पाया गया।

विपक्षी प्रथम पक्ष ने लिखित बहस में कथन किया है कि विपक्षी द्वितीय पक्ष के द्वारा 1961 ई0 में की गई दान पत्र की चौहद्दी में खतियानी रैयत का नाम दिया गया तथा तस्दीकी रिपोर्ट में जो सर्वे के प्रारंभिक काल में शुरू होता है उसमें विपक्षी प्रथम पक्ष के वारिसान खाता पुरानाः 94, खाता पुरानाः 111 एवं 112 के उत्तराधिकारी होने को प्रमाणित कर चुके हैं, जिसका नकल वजाप्ता भी निम्न न्यायालय में विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल की गयी थी जिस आधार पर अपीलार्थी एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष का कथन बिल्कुल गलत बतलाते हैं।

विपक्षी ने लिखित बहस में दुःखा साह के नाम बकुलियत डीड नं0 नहीं बतलाया है, जबकि विपक्षी प्रथम पक्ष ने निम्न न्यायालय में कबुलियत डीड नं0 1671 दिनांक 01.05.1919 के नकल बजाप्ता दाखिल किया है, जबकि अपीलार्थी की ओर से एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष की ओर से कबुलियत डीड नं0 1670 दिनांक 01.05.1919 दाखिल किया परन्तु अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में मूल डीड उपस्थापित नहीं किया परन्तु अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में मूल डीड उपस्थापित नहीं किया गया। जिससे विपक्षी प्रथम पक्ष के मरोसी खतियानी खाता पुरानाः94 का तस्दीकी के समय सर्वेयर ने आवेदक के पिता-बालेश्वर राम के नाम से खाता पुरानाः94 का पंजी दो कायम होकर मालगुजारी रसीद भी प्राप्त है जिससे भी अपीलार्थी के द्वारा खाता पुरानाः 94 की भूमि का बंदोबस्ती पट्टा होने का कथन प्रमाणित एवं सत्य प्रतीत नहीं होता है।

विपक्षी प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि अपीलार्थी स्वयं दुःखा साह के नाम की गई कबुलियत की भूमि का जमाबंदी उनके

भतीजा फूदन साह वो दौरिक साह के नाम से होने का कथन किया गया है जिससे कबुलियत के आधार पर जमाबंदी एवं भेस्टिंग का कथन अपीलार्थी का बिल्कुल गलत है।

विपक्षी प्रथम पक्ष ने यह भी कथन किया है कि मौजाः मजकूर का रिविजनल सर्वे नाट फाईनल है वो अपीलार्थी का कथन इस आधार पर खतियानी रैयत होने का बिल्कुल गलत है तथा अपर समाहर्त्ता के द्वारा तसदीकी वंशाकृक्ष मंगाने पर की गई टिप्पणी बिल्कुल गलत है।

विपक्षी यह भी कथन करते हैं कि विवादी भूमि से संबंधित लोकायुक्त के द्वारा भी सुनवाई करते हुए वो स्थलीय जाँचोपरान्त विपक्षी प्रथम पक्ष के पक्ष में पूर्व से आदेश पारित है।

विपक्षी यह भी कथन करते हैं कि अवैध दखलदार एवं जमाबंदी पंजी में लेख्य लेपन के विरूद्ध हल्का कर्मचारी के विरूद्ध अंचल अधिकारी, कहरा के द्वारा सदर थाना कांउ संख्याः 166/2011 दर्ज की गई है।

विपक्षी प्रथम पक्ष उक्त अपील वाद में कोई जवाब दाखिल नहीं किए बल्कि निम्न न्यायालय में विपक्षी द्वितीय पक्ष निम्न न्यायालय वाद संख्याः 05/2010 में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष बनाए गए थे तथा विपक्षी तृतीय पक्ष प्रतिवादी प्रथम पक्ष थे एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष निम्न न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अलग से अपील वाद 80/11 दाखिल किया गया है जिसकी सुनवाई भी साथ-साथ की गई।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के पूर्वज लेखन साह पे0 स्व0 युगल साह के द्वारा 26.07.1993 को श्रीमति उषा देवी को रजिस्ट्री केवाला से विवादी जमीन का अंश बिक्री किया गया है, जिसमें पुराना खेसरा 5042, नया खेसरा 7381 दर्ज है, जो पुनः श्रीमति उषा देवी, श्रीमति कृष्णा देवी को दि0 10.02.2002 अपनी खरीदगी जमीन बिकी की है, जिसपर उनका घर मकान कायम है और केता श्री मति कृष्णा देवी के नाम से दाखिल खारिज होकर रसीद भी कटता है, जो रसीद अपीलार्थी ने दाखिल किया है।

अपीलार्थी सीता राम साह जो अपीलार्थी के परिवार के हैं, उन्होने गायत्री देवी को दिनांक-01.03.1994 को खेसरा सं0 5042 पुराना, खेसरा स0 7382 नया, का अंश बिकी किया है, जिस कय भूमि पर गायत्री देवी का घर-मकान कायम है तथा कालकानन्द साह भी अपनी जमीन खेसरा सं0 5044 जो 5042 से सटा हुआ है, इसकी बिकी किया है। जिसमें पश्चिम चौहद्दी में छोटे लाल साह का नाम है, जो अपीलार्थी नं-6 है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण दखलकार विवादी भूमि पर बन्दोबस्ती की तिथि से चले आ रहे हैं। अपीलार्थी ने एक केवाला दुलार चन्द साह के द्वारा श्री प्रतिमा देवी के पक्ष में दि0 18.6.2001 को किया है और उस केवाला में खेसरा सं0 5043, खेसरा सं0 नया 7380 बिकी किया गया है, जिसके उत्तर एवं दक्षिण चौहद्दी में कपो साह अपीलार्थी सं0 4 के पिता का नाम दर्ज है।

उक्त दोनों विक्रय पत्र से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी खेसरा नं0

5042 पर दखलकार थे। जिस वजह बगल की भूमि के विक्रेताओं ने अपीलार्थी के पूर्वज का नाम केवाला के दौहद्दी में दर्शाया है,जो दखल कब्ज का सबूत है। इसके अलावे नक्शा भी प्रस्तुत किया है जो दर्शाता है कि 5042 के बगल में खेसरा सं0 5043 है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के द्वारा अपीलार्थी के पूर्वज के द्वारा जो जमीन बिकी किया गया है, जिसपर लोगों का घर मकान है, उस भूमि के सम्बन्ध में रेसपोन्डेन्ट अनिल राम के पक्ष में कोई आदेश नहीं दिया है, उस बिक्रय वाली जमीन को वाद से उन्मुक्त कर दिया है। जिस वजह से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का आदेश अपने आप में गलत हो जाता है और इसी आधार पर अपीलार्थी का आग्रह है कि निम्न न्यायालय का आदेश त्रुटि पूर्ण है तथा उनका यह भी कथन है कि इस मामले में स्वत्व का जटिल प्रश्न तथा 1919 ई0 का दस्तावेज पट्टा दोआमी तथा अन्य दस्तावेज को विखंडित का प्रश्न जुड़ा है, जिस वजह से प्रस्तुत मामला न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है।

प्रतिवादी अनिल राम के विद्वान अधिवक्ता ने भी अपने बहस के दौरान निवेदन किया कि न्यायालय का आदेश सही और दुरूस्त है तथा अनिल राम खतियानी रैयत का एक वंश वृक्ष दिया है । खतियानी गुल्ली, बोकू और मुशहरू को बताए हैं, बौकू और मुशहरू नावल्द मर गये तथा उनका कथन है कि बी0टी0 दफा - 87 के मुताविक जमीन्दार में समाहित होने का कथन गलत है एवं यह दर्शाया है कि 1961 ई0 के दान पत्र में उनके चौहद्दी में नाम है तथा वंशवृक्ष का नकल दिया है, जो सर्वे के दौरान का है। जिसके जबाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि सर्वे न्यायालय में वंशवृक्ष कहाँ से बनाएँ, यह परिदर्शित नहीं है और न सर्वे में इसे बनाने का कोई नियम है तथा खतियान 1902-1903 ई0 का है और पुरान खतियान के आधार पर दावा नहीं चल सकता है, जबकि हाल सर्वे खतियान और चकबन्दी हो चुका है तथा अपीलार्थी अपने को 1919 से दस्तावेज के आधार पर दखलकार मानते हैं।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया एवं निम्न न्यायालय के आदेश का परिशीलन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि खेसरा सं0 5040, नया , खेसरा स0 7381,7382 का जो अंश अपीलार्थी के पूर्वज बिकी किया हैं, उसके हक दखल को अक्षुण्ण निम्न न्यायालय ने रखा है, जो विरोधाभष पैदा करता है एवं दस्तावेजी साक्ष्य शेष भेल्यूएशन रिटर्न तथा जमाबन्दी अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से चल रही है और अपीलार्थी के पूर्वज जो जमीन बिकी किया है, उस पर खरीदार का दखल निम्न न्यायालय द्वारा भी प्रमाणित पाया गया है।

जमीन्दारी उन्मूलन 1955 ई0 में हुआ और 1955 ई0 से आज तक जमाबन्दी अपीलार्थी के नाम से चल रही है और प्रतिपक्षी अनिल राम या उसके पूवर्ज कभी किसी तरह का दावा नहीं किया और हाल सर्वे खतियान और चकबन्दी खतियान अपीलार्थी के नाम से है। जहाँ तक विपक्षी द्वितीय पक्ष के दावा का सवाल है, जिसके लिए अपीलार्थी द्वितीय पक्ष अलग से अपील दाखिल किया है जिसके कागजातों से उस अपील वाद में आदेश पारित किया जायगा।

स्पष्टतः दाखिल सबूत कागजातों एवं प्रमाणों तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का दावा सही है और निम्न न्यायालय द्वारा तथ्यों की अनदेखी कर आदेश पारित किया गया है, जो विधि-सम्मत् नहीं है। अतः आदेश दिनांक 01.08.2011 को एतद् द्वारा रद्द/विखंडित किया जाता है एवं अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है। प्रतिपक्षीगण अपने दावा के लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में दावा करने के लिए स्वतन्त्र है। इसी के साथ अपील वाद निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा